2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

कलेक्टर

मुकाम बांदीकुई

अंगदीप .... बनाम .... मोहनलाल

नं० .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/3/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वास्ते संधान बहस किया 6.4.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई 6/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.C. व राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 13/4/23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर 13-4-23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० बहस पूर्ण हुई। वास्ते आदेश दि० 17.4.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई 17/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वादपत्र व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। वादपत्र व दस्तावेजात के अवलोकन व उभयपक्ष वकील बहस के आधार पर वादीगण वाद दावा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली मुकम्मल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

यालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

01420-228487

E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

करण संख्या :-137/2020

करण निर्णय दिनांक:-17.04.2023

उनवान

1. जगदीश पुत्र नाथू फौत के बजाय:-
   1/1. मन्जू देवी पत्नि स्व0 जगदीश
   1/2. संतोष पुत्र स्व0 जगदीश
   1/3. राकेश पुत्र स्व0 जगदीश
   1/4. हेमराज पुत्र स्व0 जगदीश
   1/5. लोकेश पुत्र स्व. जगदीश
2. महेश दत्तक पुत्र रामप्रसाद आयु 46 वर्ष
3. ओमप्रकाश पुत्र पून्या 47 वर्ष
4. कविता पुत्री पून्या आयु 27 वर्ष
5. नरेश पुत्र पून्या आयु 32 वर्ष
6. मुकेश पुत्र पून्या आयु 37 वर्ष
7. सुशीला पुत्री पून्या आयु 52 वर्ष
8. बीना पुत्री पून्या आयु 42 वर्ष
9. बुद्धी पत्नि स्व0 पून्या आयु 67 वर्ष
10. हरिमोहन पुत्र रामकिशोर आयु 56 वर्ष

} जातियान ब्राह्मण निवासीयान शेखपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र घासी
2. बनवारी पुत्र घासी
3. हजारी पुत्र घासी
4. दशरथ पुत्र राधेश्याम
5. प्रेमदेवी पत्नि राधेश्याम
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा राज0।
7. रतनी देवी पत्नि चौथमल शर्मा जाति ब्राह्मण पुत्री रामकिशोर निवासी सोमनाथ नगर प्रथम दौसा चक दौसा जिला दौसा राज0।
8. लक्ष्मीदेवी पत्नि गिर्राज प्रसाद शर्मा पुत्री रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी कैलाई तह0 सिकराय जिला दौसा राज0।
9. अनिता देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्री रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी कैलाई तह0 सिकराय जिला दौसा राज0।
10. ममता शर्मा पत्नि नवलकिशोर पुत्री रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा राज0।
11. उगन्ती देवी पत्नि भगवानसहाय जाति ब्राह्मण पुत्री नाथूलाल निवासी मकान न0 30/9 हरिओम गली नं0। बाबरपुर पूर्वी दिल्ली।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

न्तला देवी पत्नि गजानन्द पुत्री नाथूलाल निवासी नयागांव बोल्का जिला अलवर राज0।
ोला देवी पत्नि रामानन्द शर्मा पुत्री नाथूलाल नि0 डोरावली तह0 टोडाभीम जिला करौली
ा0।
नी पत्नि रामअवतार शर्मा पुत्री नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी नया गांव बोल्का जिला
लवर राज0।

..........प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्थी इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः–17.04.2023

वादीगण द्वारा वाद दावा दुरूस्थी इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस ाशय का पेश किया कि ग्राम शेखपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में गत खसरा नं. 125 जिसके ाल नये ख.न. 345 रकबा 0.03 है0, ख.न. 349 रकबा 0.03 है0, ख.न. 357 रकबा 0.03 है0, कुल केता–3 कुल रकबा 0.09 है0 स्थित है। सम्वत 2014 से 2044 में भूमि मुतदाविया के गत ख.न. 125 के घासी पुत्र कौरया हिस्सा 1/2, रामप्रसाद पुत्र सरवण, पून्या पुत्र नारायण, नाथ पुत्र रामसुखा हिस्सा 1/4, रामकिशोर, रामजीलाल पुत्रान कौरया हिस्सा 1/4 दर्ज रही है। और इसी प्रकार पक्षकारान उक्त भूमि मुतदाविया पर काबिज रहकर उसका उपयोग उपभोग इस्तेमाल करते चले आ रहे है लेकिन बसवा तहसील में अभी हुये सैटलमेंट के दौरान भू–प्रबंधक विभाग द्वारा नई खतौनी–बनायी जिसका खाता संख्या नया 22 व पुराना 19 में घासी पुत्र कौरया हिस्सा 1/2, तो दर्ज कर दिया लेकिन वादीगण का नाम खातेदारी में अंकित नहीं किया जबकि बाकी 1/2 हिस्से के वादीगण खातेदार काश्तकार है। गत खातेदारान में से रामकिशोर पुत्र कौरया फौत हो चुका है जिसका वादी नं0 10 वारिस है तथा रामजीलाल लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसका हिस्सा मृतक रामकिशोर के पास ही रहा है। लेकिन भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा रामकिशोर व रामजीलाल का हिस्सा 1/4 खतौनी में दर्ज नहीं किया और पूर्व खातेदार घासी भी फौत हो चुका है जिसके प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 5 वारिसान जो कि वर्तमान में उक्त भूमि के खातेदार है। इस कारण वादीगण खतौनी सं0 नई 22 व पुरानी 19 में संवत 2041 की खतौनी के अनुसार भूमि मुतदाविया में वादीगण नं0 1 लगा0 9 का 1/4 हिस्सा व वादी नंबर 10 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 लगा0 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज करवा कर खतौनी में दुरूस्थी करवाने के अधिकारी है। और वादीगण अपना नाम बतौर सहखातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण नं01 लगायत 5 के मन में भू–प्रबंधक विभाग द्वारा वादीगण का नाम खतौनी संख्या 22 में दर्ज नही किये जाने के कारण अब बदयान्ती पैदा हो रही है और वे अब समस्त भूमि मुतदाविया से वादीगण को बेदखल कर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने पर उतारू हो रहे है। तथा ऐलानियां धमकी दे रहे है कि अब वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं रहा है इस कारण समस्त भूमि मुतदाविया को किसी दीगर शख्स को रहन व बय करके वादीगण के हक हकूक भूमि मुतदाविया से समाप्त करके रहेगे ऐसी सूरत में वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण नं0 1 लगा0 5 वादीगण को उनके हिस्से अनुसार कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने से, तथा प्रतिवादी नं0 6 बहैसियत उप पंजीयन अधिकारी प्रतिवादीगण नं0 1 लगा0 5 द्वारा भूमि मुतदाविया की बाबत पेश किये जाने वाले किसी भी रहन–नामा व बयनामा को पंजीकृत करने से प्रतिवादी नं0 1 लग0 5 खाम या पुख्ता निर्माण करने से प्राकृतिक तौर पर भूमि मुतदाविया में उगे हुए घासफूस पेड पौधो को खोदने से दवामि

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

गैर पर पाबंद रहें। दिनांक 28–8–2020 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि भू–प्रबंधक विभाग द्वारा भूमि मुतदाविया की जो नई खतौनी बनायी है उससे हमारा नाम दर्ज होने से रह गया है उसे आपसी सहमति से प्रतिवादी नं0 6 के यहा चलकर जमाबंदी में दुरूस्थ करवा लो तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये व ऐलानिया कहा कि अब हम तुम्हारे हिस्से पर भी लाठी के जोर से कब्जा करके रहेगे और भूमि मुतदाविया को किसी दीगर सख्स को रहन व बय करके रहेंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो वादीगण को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व सख्मीना होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर से संभव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यानफरीकेन चल पडेगे जो बाय से बरबादी वादीगण होगे ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा के अलावा अन्य कोई चारा नजर नहीं आया इस कारण दावा हाजा पेश करना लाजिम आया।

अतः निवेदन है कि डिकी दुरूस्थी इन्द्राज बहक वादीगण वर खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावे कि भूमि मुतदाविया हाल खसरा नंबर 345, 349, 357 जिसके गत ख.न. 125 थे। उक्त भूमि मुतदाविया में वादीगण जमाबंदी सम्वत 2041 की खतौनी में वादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज व प्रतिवादी सं0 10 के पूर्वज का 1/4–1/4 खातेदारी हिस्सा जमाबंदी खतौनी में दर्ज के अनुसार ही वर्तमान खतौनी संख्या नयी 58 व पुरनी 22 में वादीगण का हिस्सा 1/4–1/4 खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थ करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावे कि भूमि मुतदाविया ख.न. 345, 349, 357 में वादीगण के हिस्सा 1/4, 1/4 की भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से व खाम पुख्ता निर्माण करने से व वादीगण के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने से भूमि मुतदाविया को किसी दीगर सख्स को रहन बय करने से स्वयं एजेन्ट नौकरो व घरवालो व अन्य मददगारो के दवामि तौर पर पाबंद रहे एवं प्रतिवादीगण स0 6 बहैसियत उप पंजीयन अधिकारी प्रतिवादीगण नं0 1 लगा0 5 द्वारा भूमि मुतदाविया की बाबत पेश किये जाने वाले रहन नामा व बयनामा को पंजीकृत करने से स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के पाबंद रहे।।

वादीगण वाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0 5 व 7 लगा. 10, 11 लगा. 14 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 ने जवाब में अंकित किया कि प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रतिवादी 11 लगा. 14 ने जवाब में वर्णित किया कि रामजीलाल ला औलाद फौत का हिस्सा हरिमोहन शर्मा पुत्र रामकिशोर के पास है तथा हरिमोहन ही रामजीलाल का विधिक वारिस है। वादी इस्तदुआ पैरा नं. अ में वर्णित स्वीकार है। पुराने रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2041 से 2044 पत्रावली में शामिल के अनुसार वादीगण के हिस्सानुसार खातेदारी की उदघोषणा कर दी जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। हम प्रतिवादी संख्या 11 लगा. 14 ने वादग्रस्त सम्पती का वादीगण मंजुदेवी, संतोष, राकेश, हेमराज व लोकेश के हक में हक छोड दिया है। विवादग्रस्त भूमि से हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहते है। प्रतिवादीगण सं. 7 लगा. 10 द्वारा भी उपरोक्तानुसार सहमतीपूर्वक जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में वादीगण वाद एवं प्रतिवादीगण जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई कि:–

1. आया वादीगण भूमि वादग्रस्त में हिस्सा 1/4–1/4 की दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है।

:–वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

:– वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण भूमि वादग्रस्त के खातेदार काश्तकार है। जिसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

:–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

वादीगण की ओर से वाद पत्र की ताईद में बतौर साक्ष्य शपथ पत्र श्री हरिमोहन पुत्र रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी शेखपुरा तह0 बसवा एवं श्री संतोष पुत्र स्व. जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शेखपुरा एवं प्रतिवादी की ओर से श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र घासीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी शेखपुरा प्रस्तुत किया। वादी वकील व प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह गवाह किया गया तत्पश्चात वाद को बहस में नियत किया, बहस उभयपक्ष वकुलाय सुनी गई। बहस में वादी वकील ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। इसी तरह प्रतिवादी वकील ने भी जवाब वाद में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र का अवलोकन किया। बहस वकुलाय उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

<u>तनकी सं0 1:–</u> आया वादीगण भूमि वादग्रस्त में हिस्सा 1/4–1/4 की दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। ग्राम शेखपुरा तहसील बांदीकुई में गत ख.न. 125 जिसके हाल ख.न. 345, 349, 357 कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 हैक्ट. है जो संवत 2014 से 2044 में भूमि के गत ख.नं. 125 घासी पुत्र कौरया हिस्सा 1/2, रामप्रसाद पुत्र सरवण, पून्या पुत्र नारायण, नाथू पुत्र रामसुखा हिस्सा 1/4, रामकिशोर, रामजीलाल पुत्रान कौरया हिस्सा 1/4 दर्ज रही है तथा इसी अनुसार पक्षकार भूमि उपरोक्त का उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है, सैटलमेंट द्वारा बनाई गई नई खतौनी सं0 नया 22 पुराना 19 में घासी पुत्र कौरया हि0 1/2 तो अंकित कर दिया लेकिन वादीगण का नाम अंकित नही किया, जबकी वादीगण 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। गत खातेदार रामकिशोर फौत हो चुका है। जिसका वादी नं0 10 वारिस है, रामजीलाल लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसका हिस्सा मृतक रामकिशोर के पास ही रहा है। लेकिन भू प्रबंधक विभाग द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं किया। इस तरह वादीगण नं0 1 लगा. 9 का 1/4 हिस्सा व वादी न. 10 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं 1 लगा. 5 का 1/2 हिस्सा बतौर राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती किया जाना जाहिर है। प्रतिवादीगण द्वारा भी वादीगण वाद तथ्य आंशिक रूप से सही होना स्वीकार किया है। साक्ष्य शपथ पत्र से भी जाहिर किया है। उपरोक्तानुसार वादीगण तनकी को साबित करने में सफल रहे। अतः तनकी सं0 1 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

<u>तनकी सं. 2:–</u> आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण का कथन है कि ग्राम शेखपुरा तहसील बांदीकुई में गत ख.न. 125 जिसके हाल ख.न. 345, 349, 357 कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 हैक्ट. है जो संवत 2014 से 2044 में भूमि के गत ख.नं. 125 घासी पुत्र कौरया हिस्सा 1/2, रामप्रसाद पुत्र सरवण, पून्या पुत्र नारायण, नाथू पुत्र रामसुखा हिस्सा 1/4, रामकिशोर, रामजीलाल पुत्रान कौरया हिस्सा 1/4 दर्ज रही है तथा इसी अनुसार पक्षकार भूमि उपरोक्त का उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है, सैटलमेंट द्वारा बनाई गई नई खतौनी सं0 नया 22 पुराना 19 में घासी पुत्र कौरया हि0 1/2 तो अंकित कर दिया लेकिन वादीगण का नाम अंकित नही किया, जबकी वादीगण 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। गत खातेदार रामकिशोर फौत हो चुका है। जिसका वादी नं0 10 वारिस है, रामजीलाल लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसका हिस्सा मृतक रामकिशोर के पास ही रहा है। लेकिन भू प्रबंधक विभाग द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं किया। वादीगण का उक्त कथन पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श–7 से साबित होता है। वादीगण के पूर्वज उक्त भूमि में सहखातेदार रहे हैं, परन्तु वादीगण का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण भूमि मुतदाविया को किसी दीगर शख्स को रहन व बय कर सकते हैं, जिससे वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है। वादीगण का नाम जब तक जमाबंदी में दर्ज नहीं हो, तब तक प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

तनकी सं. 3:– आया प्रतिवादीगण भूमि वादग्रस्त के खातेदार काश्तकार है। जिसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण की अकेले की ही हो। जबकि वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 लगायत 13 पेश किये हैं। जिनके आधार पर वादीगण तनकी सं.–1 व 2 अपने पक्ष में साबित करने में सफल हो चुके है। अतः तनकी संख्या–3 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा दुरूस्थी इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम शेखपुरा तहसील बसवा हाल तहसील बॉदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 345, 349, 357 जिसके गत खसरा नंबर 125 थे, उक्त भूमि की जमाबन्दी संवत 2041 से 2044 तक की खतौनी में वादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज व वादी संख्या 10 के पूर्वज का 1/4–1/4 हिस्सा जमाबन्दी खतौनी में दर्ज के अनुसार ही वर्तमान खतौनी संख्या नयी 58 पुरानी 22 में वादीगण का हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थ किया जाकर बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खाता सं. नया 58 पुराना 22 खसरा नं. 345, 349, 357 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9 हैक्ट. वाके ग्राम शेखपुरा तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थी होने तक उक्त भूमि में वादीगण के हिस्सा 1/4–1/4 की भूमि में वादीगण के कब्जे–काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न करें, किसी दीगर शख्स को रहन–बय व पुख्ता निर्माण न करें। तहसीलदार बॉदीकुई निर्णयानुसार विधिवत राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थी कर वादीगण को खातेदार के रूप में दर्ज करें। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner